5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर – 20/2012

1. मृतक मुकारब खां पुत्र स्व. श्री इस्माईल खां जाति कायमखानी निवारी कोलाली तहसील व जिला झुंझुनू

   1/1 नुर मोहम्मद पुत्र
   1/2 मनवर अली खां पुत्र
   1/3 हबीब खान पुत्र
   1/4 रफीद अली पुत्र
   1/5 गुडी पुत्री
   1/6 सतार पुत्र
   1/7 सोसीना पुत्री
   1/8 अजीज बानो पुत्री
   1/9 खुशी मोहम्मद पुत्र
   1/10 यासमीन पुत्री

   } मुकारब खां जाति मुसलमान निवारी कोलाली तहसील व जिला झुंझुनू

2. फैजु खां पुत्र स्व. श्री इस्माईल खां जाति कायमखानी निवासी कोलाली तहसील व जिला झुंझुनू

– वादीगण

बनाम

1. मजीद खां पुत्र स्व. श्री इस्माईल खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी कोलाली तहसील व जिला झुंझुनू
2. हमीद खां पुत्र स्व. श्री इस्माईल खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी कोलाली तहसील व जिला झुंझुनू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री विक्रम दुलड़, एडवोकेट – वादीगण की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी जी.ए. – राज्य सरकार की ओर से

दावा इस्तकरार हक बंटवारा

निर्णय

दिनांक 20.06.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील_पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार झुंझुनू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील पक्षकारान को सुना जाकर वकील पक्षकारान की सहमति पर पत्रावली आदेश मे ली जाकर अवलोकन किया गया। प्रकरण के संक्षेप्प मे तथ्य इस प्रकार से है कि न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2015 को पारित निर्णय की अनुपालना मे तहसीलदार झुंझुनू को 500 रूपये मौका फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मुताबिक प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार पक्षकारो के घोषित हक हिस्से अनुसार मौके पर भौतिक रूप से

Scanned by CamScanner

बंटवारा कर बंटवारे का प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार झुंझुनू ने अपने पत्र कमांक राजस्व/2018/1540 दिनांक 21.05.2018 विभाजन प्रस्ताव पेश किया। विभाजन प्रस्ताव पर वकील पक्षकारानो को सुना गया। वकील पक्षकारानो के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद वादी अन्तिम रूप से डिकी करने पर अपनी सहमति व्यक्त की। हमने निर्णय दिनांक 26.05.2015 व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक प्राथमिक निर्णय अनुसार है। अत वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि व मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के नक्शा ट्रेस मे तरमीम व राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
झुन्झुनू (राजस्थान)

Scanned by CamScanner